7/5/24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम अमरगढ़ में आ० नं० 395-396-397 कुल कीता 3 कुल रकबा 0.5962 हैक्टर में प्रत्यर्थी नं० 1 महावीर सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत ने अपने 1/4 हिस्से में से 421 वर्गमीटर भूमि को अपीलार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मांडलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दि० 7/10/22 से विक्रय कर दिया गया जिसके अनुसार नामान्तरकरण हेतु दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत अमरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा पटवारी हल्का अमरगढ़ द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण सं० 1684 को बिना किसी निर्णय के दिनांक 6/12/2022 को खारीज कर दिया जो कि विधि अनुकूल नहीं होने से ग्राम पंचायत अमरगढ़ के आदेश दिनांक 6/12/2022 को निरस्त फरमाया जावे।
	अपील मीमो के खण्डन में रेस्पो० संख्या 2 के द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया व अपने आदेश दिनांक 6/12/2022 के पक्ष में कोई ठोस कारण नहीं बताया। बहस में निवेदन किया कि रेस्पो० सं० 1 के द्वारा किया गया विक्रय विधिनुकूल नहीं होने से खारीज किया जो सही है।
	हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत नामान्तरकरण सं० 1684 एवं पंजीबद्ध विक्रय विलेख दि० 7/10/2022 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम अमरगढ़ सम्वत 2074 से 2077 के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम अमरगढ़ की आ०नं० 395 396-397 [illegible] 29 कुल कीता 7 कुल रकबा 1.6188 [illegible] शल्या कंवर पत्नि नारायण सिंह [illegible] पुत्री नारायण सिंह 1/4, महावीर सिंह पिता नारायण सिंह 1/4 विष्णु कंवर पत्नि नारायण सिंह 1/4 राजपूत के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। इस प्रकार अपील मीमो में

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:34 IST
Reason: SelfAttested

अपील सं० 01/23 - जगदीशचन्द्र v/s महावीर सिंह

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंकित आराजी नं० 395-396-397 अन्य आराजीयात के साथ संयुक्त खातेदारी में होकर अविभाजित होते हुए रेस्पो० सं० 1 के द्वारा आराजी विशेष में से 521 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए अपीलार्थीगण को विक्रय कर दी इसके लिए अन्य सहखातेदारों की सहमति नहीं ली गई। साथ ही वादवर्णित आराजी में रेस्पो० सं० 1 का 1/4 हिस्सा यानि 1590 वर्गमीटर हक हिस्सा होते हुए अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 को भी विक्रय नहीं किया न ही बटवारा करवाया न ही अपने सह खातेदारों की सहमति प्राप्त किए विक्रय किया जिसका निर्धारण अपील के माध्यम से नहीं किया जा सकता है यह समरी प्रोसीडिंग है इसके माध्यम से किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अतः ग्राम पंचायत आमलीगढ़ के द्वारा अपने आदेश दि० 6/12/22 से नामान्तकरण सं० 1684 को निरस्त किया है वह उचित ही इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील विधि अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मन्त्र (?) से कायम हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल